तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार ... हुक्म की त... में जारी
	21/7/22	

पत्रावली पेश / वादी मय विद्वान अधिवक्ता वादी उपस्थित प्रतिवादीगण की पूर्व में एकतरफा दिनांक 27.9.21 को कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है तथा इसमें बहस पर हो चुकी है तथा फरीक राजीनामा का स्वीकार किया जाकर राजीनामा डिक्री किया जावे पत्रावली दिनांक 11.3.22 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर

2 पत्रावली पेश / वादी उपस्थित वादी का बयान लिये राजीनामा स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद तामील शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर

न्यायालय सहायक कलक्टर, खींवसर (नागौर)
बइजलास जीतू कुलहरी ,आर.ए.एस

द संख्या :– 153 / 2017

ानंदसिंह पुत्र विजेसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला

बनाम

ाण :–

नोहर कंवर उर्फ मोहनकंवर पुत्री विजेसिंह
ारा कंवर पुत्री विजेसिंह
ी रामसिंह पुत्र विजेसिंह
ी महेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह
श्री अर्जुनसिंह पुत्र गणपतसिंह
वेवी उर्फ पुष्पा कंवर बैवा गणपतसिंह
दन कंवर बेवा आसुसिंह
श्री सुगनसिंह पुत्र जगसिंह
श्री मुकनसिंह पुत्र जगसिंह गोद पुत्र मदनकंवर समस्त जातियान रावणा राजपूत निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर
धापूदेवी पत्नि सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी बिरलोकातहसील खींवसर जिला नागौर
तहसीलदार खींवसर
उपपंजीयक खींवसर
शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा जाखण तहसील ओसिया जिला जोधपुर
शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा, बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर

ान अधिवक्तागण पक्षकारान
विद्वान अधिवक्ता वादी :– श्री अविनाश सुथार
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण :– श्री नरेन्द्रसिंह राठौड, राधेश्याम बिष्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक : 14.03.2022

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट मय शपथ पत्र वादी ने जरिये विद्वान ता प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया। जिसका सक्षिप्त इस प्रकार से है :–

1. कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिनके सह खातेदारी संयुक्त कब्जा काश्त के खेत खसरा नबंर 138 रकबा 7.16 बीघा, खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 बीघा कुल रकबा 62.14 बीघा मौजा बिरलोका में रहत चले आ रहे है।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

वादी एवं प्रतिवादीगण के सजरा खानदान निम्न प्रकार से है

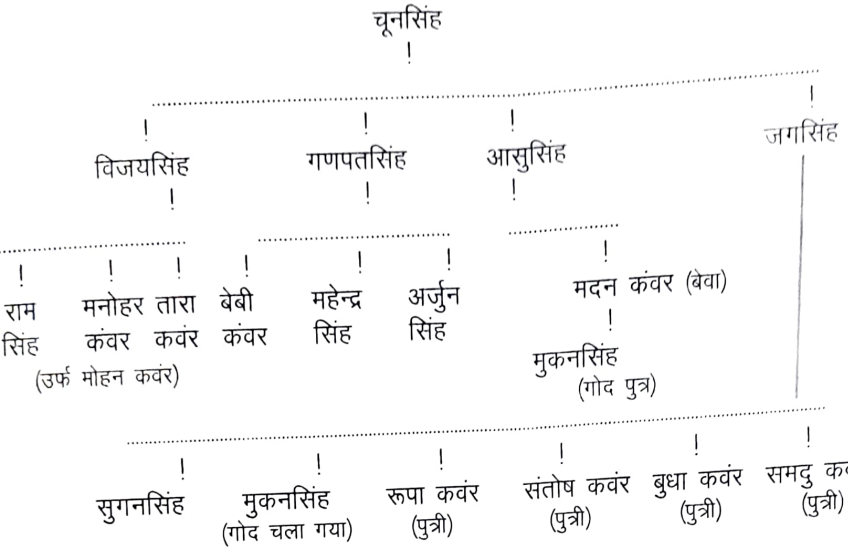

इस प्रकार उपर वर्णित सजरा खानदान से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त सम्पति चुनसिंह की थी। जब चुनसिंह का देहान्त हुआ तो वादग्रस्त सम्पति उनके चारों पुत्रों में बहिस्सा बराबर – बराबर 1/4 – 1/4 हिस्सा जरिए उतराधिकार के निहित हो गया। इस प्रकार से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8, 10 ता 13 का संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्सा निहित हो गया। वादग्रस्त भूमि में आसूसिंह का भी 1/4 हिस्सा निहित करता था जो आसूसिंह के देहान्त के पश्चात उसकी पत्नि मदनकंवर में निहित हो गया एवं मदन कंवर द्वारा मुकन सिंह पुत्र जगसिंह को गोद लेने से मुकनसिंह का सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्सा निहित हो गया एवं जगसिह के 1/4 हिस्से से मुकनसिंह का कोई हक अधिकार नहीं रहा।इस प्रकार से सभी पक्षकारान अपने बंट हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

3. पक्षकारान के बीच में वादग्रस्त खेत खसरा नबंर 138 रकबा 7.16 बीघा, खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 बीघा कुल रकबा 62.14 बीघा मौजा बिरलोका का संवत् 2050 की आखातीज को आपस में बंटवाड़ा कर लिया जो निम्नानुसार है।

अ. कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त रूप से मौजा बिरलोका के खेत खसरा नबंर 139 रकबा 7.16 बीघा में से 11.15 बीघा जगसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8, 10 ता 13 के हिस्से में रखी भूमि से दक्षिणी तरफ का हिस्सा एवं खसरा नबंर 138 रकबा 7.16 बीघा में से 3.18 बीघा सम्पूर्ण खेत का दक्षिणी हिस्सा कुल 15.13 बीघा भूमि बहिस्सा बराबर बंट कब्जा काश्त में रखी गयी हैं।

ब. प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के संयुक्त रूप से मौजा बिरलोका के खेत खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 बीघा में से 15.14 बीघा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बंट में रखी भूमि से दक्षिणी तरफ का बहिस्सा बराबर की रखी गयी है।

स. प्रतिवादी संख्या 09 के बंट में मौजा बिरलोका के खेत खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 बीघा में से 15.14 बीघा गोद पुत्र होने की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के बंट कब्जे काश्त में रखी भूमि से दक्षिणी तरफ बहिस्सा बराबर रखी गयी हैं।

सहायक कलक्टर
खींदसर (नागौर)

3. प्रतिवादी संख्या 8, 10 ता 13 के संयुक्त रूप से मौजा बिरलोका के खेत खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 मे से रकबा 11.15 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वादी के बंट कब्जा काश्त की भूमि से उतरी तरफ का हिस्सा एवं खसरा नबंर 138 रकबा 7.16 बीघा में से 3.18 बीघा उतरी तरफ का कुल 15.13 बीघा भूमि बहिस्सा बराबर बंट कब्जा काश्त में रखी गयी है। ओर इसी प्रकार से पक्षकारान कब्जा काश्त है।

इस प्रकार उपर वर्णित बंटवाडा के अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है एवं पक्षकारान का मौके पर इसी अनुसार कब्जा व काश्त है। इसी अनुसार वादग्रस्त खेताए का बंटवाड़ा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण की अलग अलग बंट कब्जा काश्त खातेदारी घोषित करवाने हेतू यह वाद बाबत् बंटवाड़ा घोषणा खातेदारी का पेश किया जा रहा है।

4. यह है कि वादग्रस्त खेताय वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त हिन्दू परिवार के अविभक्त खेताय रहते चले आये है एवं वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है एवं सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच इंच पर कब्जा व काश्त प्रत्येक सहखातेदार का माना जाता है ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त खेताय का रेकर्डेड खातेदार होने की वजह से प्रकरण प्रथम दृष्टया मुझ वादी के पक्ष में है तथा अभी हाल ही में प्रतिवादीगण वादग्रस्त खेताए का बिना विभाजन कराये किसी अजनबी केता को बैचान करने की स्थिति में अपूर्णीय क्षति होने की स्थिति भी मुझ वादी को है तथा प्रतिवादीगण यदि वादग्रस्त भूमि का बैचान किसी अजनबी केता को कर देगें तो अजनबी केता लाठी व धन, बल के आधार पर वादी को उसके कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर देंगे जिससे वादी को अपने हिस्से की भूमि से वंचित होना पड़ेगा एवं अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी जिससे सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा जारी करने में ही है। ऐसी स्थिति में वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है।

5. कि बिनायवाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण अभी हाल ही में दिनांक 20.10.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के बंट कब्जा काश्त की भूमि का बैचान करने का इकरार किसी अजनबी केता से करने और प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने से बमुकाम बिरलोका में पैदा हुआ जो अदालत वाला के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार में है।

6. यह है कि वादग्रस्त भूमि खातेदारी के खेत होने से तहसीलदार भूमि धारक होने से एवं दौराने दावा वादग्रस्त भूमि का बेचान आदि नहीं है एवं निषेधाज्ञा की प्रभावी पालना हो सके। उपपंजीयक को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है एवं वादग्रस्त भूमि एसबीबीजे बिरलोका एवं आईसीआईसीआई बैक शाखा जाखण तहसील ओसिया जिला जोधपुर के रहन होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार जोड़ा गया है।

इश्तदुआ वाद है कि वादी का वाद स्वीकार कर निम्न निर्णय एवं डिक्री सादर घोषित फरमावें। :–

1. मौजा बिरलोका के खेत खसरा नबंर 138, 139 का वादपत्र के पैरा संख्या 3 के उपपैरा अ,ब,स,द के अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर वादी प्रतिवादीगण के बंट कब्जा काश्त खातेदारी की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद की जावे।
2. कि वादग्रस्त खेताय में वादी के बंट कब्जा काश्त की भूमि में प्रतिवादी न तो स्वयं दखलदांजी करे न किसी अन्य से करावें एवं वादग्रस्त भूमि का बैचान, रहन आदि नहीं करने हेतु जरिये निषेधाज्ञा रोका जावें।

सहायक कलक्टर
खींवसर (नागौर)

3. माफिक डिक्री राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हेतु तहसीलदार खींवसर को तहरीर जारी करावें।
4. अन्य कोई अनुतोष वादी के हक में हो तो वादी को घोषित फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत् तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 8,13,14,15 के नोटिस बाद तामिल बावजूद इतला के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 06 व 08 ने राजीनामा प्रस्तुत किया । प्रतिवादी संख्या 08 की पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही होने से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उक्त प्रतिवादी के विरूद्व हुई एक पक्षीय कार्यवाही को पुनः मसुंख करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी के द्वारा No Objection करने पर उक्त आवेदन स्वीकार करते हुए एक पक्षीय कार्यवाही को पुनः मसुंख किया गया। प्रतिवादी संख्या 07 कि तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम विश्नोई ने वकालातनामा एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 07 ने राजीनामा प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने आवेदन आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी एवं आदेश 1 नियम 10 सीपीसी एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 ने प्रतिवादी संख्या 08 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हक हिस्से का तर्कनामा प्रतिवादी संख्या 08 श्री सुगनसिंह पुत्र जगसिंह को कर दिया है। ऐसी सुरत में प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं होने से वादग्रस्त भूमि से एवं वाद पत्र से इनका नाम हटाया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 08 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने हिस्से में से 9.02 बीघा भूमि का बैचान धापू पत्नि सज्जनसिंह निवासी बिरलोका को कर दिया है तथा धापू वादग्रस्त भूमि की रेकर्डेड खातेदार होने से एवं वादग्रस्त भूमि से पारित होने वाले निर्णय से सीधे एवं प्रभावित पखकार है इसलिए प्रस्तुत वाद में धापूदेवी को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 07 व 08 ने यानि वादी आनन्दसिंह पुत्र विजेसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर तथा प्रतिवादीगण मनोहरकंवर उर्फ मोहनकंवर, तारा कंवर पुत्रीयां विजेसिंह, रामसिंह पुत्र विजेसिंह, महेन्द्रसिंह, अर्जुनसिंह पुत्रगण गणपतसिंह, बेबी कवंर उर्फ पुष्पा कंवर बेवा गणपतसिंह, मदन कवंर बेवा आसुसिंह, सुगनसिंह पुत्र जगसिंह समस्त जातियान रावणा राजपूत निवासीगण बिरलोका व धापूकंवर पत्नि सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर वाले समझाईस व लोकअदालत की भावना से प्रेरित होकर वादग्रस्त भूमि बाबत् सवंत 2050 की आखातीज को पारिवारिक बंटवाड़ा किया गया था। उस बंटवाड़े के मुताबिक मौके पर सुविधा अनुसार कब्जा काश्त अनुसार निम्न राजीनामा दिनांक 24.03.2021 को पेश किया है जो इस प्रकार है।

1. यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। जिनके सह खातेदारी संयुक्त कब्जा काश्त के खेत खसरा नबंर 138 रकबा 7.16 बीघा, खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 बीघा कुल रकबा 62.14 बीघा मौजा बिरलोका में रहते चले आ रहे है।

सहायक कलक्टर
खींवसर (नागौर)

विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी शाखा प्रबंधक एसबीबीजै शाखा, बिरलोका तहसील खींवसर जिला नागौर एवं शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा जाखण तहसील ओसिया जिला जोधपुर का No Due Certificate पेश कर निवेदन किया की उक्त बैंकों का श्रण चुकता कर वादग्रस्त भूमि को हमने रहन मुक्त करवा लिया है। प्रतिवादी संख्या 09 ता 13 के द्वारा अपने हक हिस्से की आराजी का हक त्याग प्रतिवादी संख्या 08 के पक्ष में कर दिया जो पत्रावली पर मोजुद हक त्याग के दस्तावेजात से साबित होते है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 अपनी सहमति एवं रजामंद से राजीनामा प्रस्तुत कर जरिये राजीनामा दावा डिक्री करवाना चाहाते है अतः रेकर्डेड खातेदार की सहमति से बंटवाड़ा किया जाता है तो कोई कानुनी बाध्यता नहीं उत्पन्न नहीं होती है।

अतः उभयपक्षकारान की बहस, पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात् राजीनामा के अवलोकन एवं मनन कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुंक्त खातेदारी है एवं विभाजन के अधिकारी है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा जरिये राजीनामा वादी ने यह निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 06 बेबी उर्फ पुष्पा कंवर बैवा गणपतसिंह है जबकि राजस्व रेकर्ड व अन्य दस्तावेज में पुष्पाकवंर है तथा बोलचाल की भाषा में उसे बेबी कंवर कहते है । इस प्रकार बेबी कवंर व पुष्पा कंवर दोनों एक ही महिला है जिसका नाम शुद्व करते हुए पुष्पा कंवर उर्फ बेबी कंवर बैवा गणपतसिंह शुद्व किया जाता है वादी का वाद डिक्री निम्नानुसार किया जाता है।

आदेश

अ. वादी श्री आनंदसिंह पुत्र विजेसिंह, प्रतिवादी मनोहर कंवर उर्फ मोहनकंवर, तारा कंवर पुत्रीया विजेसिंह रामसिंह पुत्र विजेसिंह के बंट एवं कब्जे काश्त में :–

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के संयुक्त रूप सेमौजा बिरलोका के खेत खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 बीघा में से 11.15 बीघा जगसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8, 10 ता 13 के हिस्से में रखी भूमि से दक्षिणी तरफ का हिस्सा एवं खसरा नबंर 138 रकबा 7.16 बीघा में से 3.18 बीघा सम्पूर्ण खेत का दक्षिणी हिस्सा कुल 15.13 बीघा भूमि संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर बंट व कब्जा काश्त मे घोषित की जाती है।

ब. **प्रतिवादी श्री महेन्द्रसिंह, अर्जुनसिंह पुत्रगण गणपतसिंह, बेबी कंवर बेवा गणपतसिंहके संयुक्त रूप से बंट एवं कब्जे काश्त में :–**

प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के संयुक्त रूप से मौजा बिरलोका के खेत खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 बीघा में से 15.14 बीघा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के बंट में रखी भूमि से दक्षिणी तरफ का बहिस्सा बराबर घोषित की जाती है।

स. **प्रतिवादीश्री मुकनसिंह पुत्र जगसिंह गोद पुत्र मदनकंवर बेवा आसुसिंह के बंट व कब्जे काश्त में:–**

प्रतिवादी संख्या 07 व 09 के बंट में मौजा बिरलोका के खेत खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 बीघा में से 15.14 बीघा गोदपुत्र होने की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के बंट में कब्जे काश्त में रखी भूमि से दक्षिणी तरफ बहिस्सा बराबर घोषित की जाती है।

द. **प्रतिवादी संख्या 8 श्री सुगनसिंह पुत्र जगसिंह के बंट एवं कब्जे काश्त में :–**

सहायक कलक्टर
खींवसर (नागौर)

प्रतिवादी संख्या 08 के बंट मेंमौजा बिरलोका के खेत खसरा नबंर 139 रकबा 54.18 में से रकबा 11.15 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वादी के बंट कब्जा काश्त की भूमि से उतरी तरफ का हिस्सा एवं खसरा नबंर 138 रकबा 7.16 बीघा में से 3.18 बीघा उतरी तरफ का कुल 15.13 बीघा भूमि बहिस्सा बराबर बंट कब्जा काश्त मेंघोषित की जाती है। इस भूमि में से अपने निहित हिस्से में से 09.02 बीघा का बैचान धापूकवंर पत्नि सज्जनसिंह को कर दिया है जो प्रतिवादी संख्या 08 सुगनसिंह के हिस्से में रखी भूमि में रखा गया है नजरी नक्शा राजीनामा के साथ संलग्न है। स्टाम्प डयूटी प्रस्तुत होने पर इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। एवं पालना हेतु तहसीलदार खींवसर को तहरीर जारी हो।

नोटः– उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

जीतू कुलहरी RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर

उक्त निर्णय आज दिनांक : 17.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जीतू कुलहरी RAS
(सहायक कलक्टर)
खींवसर